

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 442/2021
अनवान : -

1. राजुराम पुत्र जेठाराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सुमीत्रा देवी पत्नी मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. मोनिका पत्नी प्रकाशचंद्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. दिवान्शु पुत्र प्रकाश चंद्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर नाबालिग जरिये माता मोनिका पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. करण पुत्र प्रकाश चंद्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर नाबालिग जरिये माता मोनिका पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. रेणु पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. टिंकू पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. लवली पुत्र रिमा पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
10. ज्यानादेवी पत्नी हनुमान जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
11. राजवीर पुत्र हनुमान जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
12. राकेश कुमार पुत्र हनुमान जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
13. अशोक कुमार पुत्र हनुमान जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
14. नाथी देवी पुत्री जेठाराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
15. रजी देवी पुत्री जेठाराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण



दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 25/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 29/29 की कुल 2.9095 हैक्ट एवं रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 210/206 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 171/167 की कुल 3.6680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि जेठाराम उर्फ जेठा पुत्र खुमाणाराम उर्फ खमाणा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें  का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम  है। वादी के पिता

जेठाराम पुत्र खुमाणाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा जेठाराम पुत्र खुमाणाराम के पुत्र मोजीराम, हनुमान व पुत्री रीमा का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं मोजीराम के एक पुत्र प्रकाशचंद्र का भी देहांत हो चुका है। जेठाराम पुत्र खुमाणाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः जेठाराम का नाम वाद भूमि में से कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 के नाम 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि पर काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 15 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 16 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण जेठाराम पुत्र खुमाणाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र हनुमान पुत्र जेठाराम, मृत्यु प्रमाण रिया पुत्री मोजीराम, मृत्यु प्रमाण पत्र मोजीराम, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता जेठाराम पुत्र खुमाणाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा जेठाराम पुत्र खुमाणाराम के पुत्र मोजीराम, हनुमान व पुत्री रीमा का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं मोजीराम के एक पुत्र प्रकाशचंद्र का भी देहांत हो चुका है। जेठाराम पुत्र खुमाणाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः जेठाराम का नाम वाद भूमि में से कलमजन किया जाकर वादी

व प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 के नाम 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 29/29 की कुल 2.9095 हैक्ट एवं रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 210/206 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 171/167 की कुल 3.6680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि जेठाराम उर्फ जेठा पुत्र खुमाणाराम उर्फ खमाणा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता जेठाराम पुत्र खुमाणाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा जेठाराम पुत्र खुमाणाराम के पुत्र मोजीराम, हनुमान व पुत्री रीमा का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं मोजीराम के एक पुत्र प्रकाशचंद्र का भी देहांत हो चुका है। जेठाराम पुत्र खुमाणाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः जेठाराम का नाम वाद भूमि में से कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 ता 8 प्रत्येक के नाम 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 के नाम 1/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि पर काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक जेठाराम के अन्य कोई भी वारिसा नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 29/29 की कुल 2.9095 हैक्ट भूमि में

al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

जेठाराम पुत्र खुमाणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/3 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 6/21 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/21 तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा एवं रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 171/167 की कुल 3.6680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में जेठा पुत्र खमाणा का नाम कलमजन किया जाकर 1/12 हिस्सा भूमि का वादी को तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 को 6/84 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/84 एवं प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 442/2021
अनवान : -

1. राजुराम पुत्र जेठाराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सुमीत्रा देवी पत्नी मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. मोनिका पत्नी प्रकाशचंद्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. दिवान्शु पुत्र प्रकाश चंद्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर नाबालिग जरिये माता मोनिका पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. करण पुत्र प्रकाश चंद्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर नाबालिग जरिये माता मोनिका पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. रेणु पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. टिकू पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. लवली पुत्र रिमा पुत्री मोजीराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
10. ज्यानादेवी पत्नी हनुमान जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
11. राजवीर पुत्र हनुमान जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
12. राकेश कुमार पुत्र हनुमान जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
13. अशोक कुमार पुत्र हनुमान जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
14. नाथी देवी पुत्री जेठाराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
15. रजी देवी पुत्री जेठाराम जाति बाल्मिकी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 442 सन 2021 निर्णय दिनांक 25/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 29/29 की कुल 2.9095 हैक्ट भूमि में जेठाराम पुत्र खुमाणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/3 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 6/21 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/21 तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा एवं रोही मौजा 12 बरानी तहसील नोहर के खाता स0 171/167 की कुल 3.6680 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में जेठा पुत्र खमाणाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/12 हिस्सा भूमि का वादी को तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 को 6/84 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/84 एवं प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/7/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर